

डिक्री बमुकदमें ईब्लादाई  
अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता  
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी  
पीठासीन अधिकारी:-उममेद सिंह रतनू आर.ए.एस.  
प्रकरण संख्या:-350/2018

1. लालचन्द पुत्र रामजस जाति जाट निवासी खाराखेड़ा तहसील टिब्बी।  
-वादी

बनाम

1. रामकुमार पुत्र रामजस जाति जाट निवासी खाराखेड़ा तहसील टिब्बी  
2. तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी  
-प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ उममेद सिंह रतनू आर.ए.एस.के समक्ष वास्तु  
इनफिसाल कतई रोबरू हमारे बहाजरी श्री अनिल कुमार सिडाना वकील वादी मिन  
जामिन नुदई श्री नरेन्द्र कुमार चिनियां प्रतिवादी मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम  
दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि:-

(क)-वादी लालचन्द को प्राप्त आराजी- चक नं. 3 सीडीआर जमाबन्दी सम्वत् 2073-76  
खाता संख्या 100/80,81 प.नं. 228/223 (32) कि.नं. 6,13,14,17,18 प्रत्येक  
सालम,कुल तादादी 1.265 है. व चक नम्बर 4 सीडीआर जमाबन्दी सम्वत् 2072-75  
खाता संख्या 133/117 प.नं. 230/226 (16) कि.नं. 2,20,21,22 प्रत्येक सालम,प.नं.  
229/226 (17) कि.नं. 16,25 प्रत्येक सालम,प.नं. 230/227 (25) कि.नं. 1 सालम  
कुल तादादी 1.771 है. नहरी मय गैर मुमकिन रास्ता।

(ख)-प्रतिवादी संख्या 1 रामकुमार को प्राप्त आराजी-चक नं. 3 सीडीआर जमाबन्दी  
सम्वत् 2073-76 खाता संख्या 100/80,81 प.नं. 228/222 (21) कि.नं. 3,4,7,8, 9,  
12,13 प्रत्येक सालम,प.नं. 228/223 (32) कि.नं.15,16,24,25 प्रत्येक सालम,कुल  
तादादी 2.783 है. नहरी मय गैर मुमकिन खाला। राजीनामा शामिल मिसल किया  
गया। वादी एवं प्रतिवादी ने आईडी की चित्रप्रतियां पेश की जिन्हें शामिल मिसल  
किया गया।

उपरोक्तानुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार कारतकार घोषित किया  
जाकर खाता विभाजन कर रकम राज अलग से कायम किये जाने के आदेश दिये जाते  
है। इसी अनुसार राजस्व अभिलेख में अंकन किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की  
स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। खर्चा  
पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

निज.....निल.....मुब्लिक.....निल.....बाबत्.....निल.....खर्चा मुकदमें के  
मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक 16-1-2018 अदा  
करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 16-1-2018 को जारी  
किया गया।



(उममेद सिंह रतनू)  
उपखण्ड अधिकारी  
सहायक कलक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी, टिब्बी